40/2025

07.4.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि का बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है,जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि मे विप्रार्थी आए दिन दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है,यदि इसमे सफल हो गए तो प्रार्थी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाऐगा। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे। हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है,क्योंकि विवादित भूमि के प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 13 सहखातेदार है तथा सहखातेदारान के रिकॉर्ड मे हिस्से भी खुले हुए है। प्रार्थी/वादी का मूलवाद साक्ष्य गवाहान मे विचाराधीन चल रहा है। ऐसी सूरत मे इस स्तर पर स्थगन से सहखातेदारान को पाबंद नही किया जाता सकता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	